

आदेश व. क्र. संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
19.10.15	<p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं० 97/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम काजू सिंह, थाना-दिघवारा</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5613/चुनाव/गो०, दिनांक 11.10.2015 के द्वारा सक्रिय असामाजिक तत्व काजू सिंह, पिता-विपिन बिहारी सिंह, सा०-आमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 5538, दिनांक 10.10.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया है:-</p> <p>1. दिघवारा थाना कांड संख्या- 45/2010, दिनांक 01.05.2010 धारा-385/504/34 भा०द०वि।</p> <p>इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर आपके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके विरुद्ध इस संबंध में सनहा संख्या 624/15, दिनांक 27.09.15 दर्ज किया गया है।</p> <p>उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 862, दिनांक 12.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छ किया गया, एवं दिनांक 19.10.15 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। विपक्षी के द्वारा अपना जबाब एवं हाजरी 19.10.2015 को प्रस्तुत किया गया।</p> <p>दिनांक 19.10.2015 को विपक्षी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी कानून का सम्मान करने वाला एक व्यक्ति है। विपक्षी के विरुद्ध दर्ज दिघवारा थाना कांड सं० 45/10 के संबंध में विपक्षी कुछ भी मालूम नहीं हैं। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विपक्षी व्यवहार न्यायालय छपरा में गए, लेकिन दुर्गापूजा अवकाश की वजह से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। उनके द्वारा सुनवाई हेतु एक और अवसर देने का अनुरोध किया गया है। वह आने वाले चुनाव में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। उनके विरुद्ध धारा 3 की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया।</p>	



विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि पुलिस प्रतिवेदन में विपक्षी के विरुद्ध एक कांड एवं एक सनहा का उल्लेख किया गया है। इन कांडों के निष्पादन के संबंध में विपक्षी के द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विपक्षी के विरुद्ध धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है।


उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत मैं पाता हूँ कि विपक्षी काजू सिंह, पिता-विपिन बिहारी सिंह, सा0-आमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण के विरुद्ध दर्ज कांड का निष्पादन नहीं हुआ है। उनके द्वारा किसी भी वाद के समाप्त होने तथा उन्हें दोषमुक्त किए जाने संबंधी कोई भी न्यायादेश की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए धारा 3 के अंतर्गत विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक है। अतः मैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूँ कि इस आदेश की तामिला की तिथि से 12.11.2015 तक विपक्षी को भगवान बाजार थाना, छपरा में अपनी हाजरी प्रतिदिन दो बार-9:00 प्रातः एवं 5:00 बजे सायं में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस आशय का दैनिक प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, भगवान बाजार थाना अधोहस्ताक्षरी सहित पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, तथा संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि विपक्षी के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो थानाध्यक्ष, भगवान बाजार थाना, छपरा इससे संबंधित प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा विपक्षी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेषित करेंगे।


विपक्षी को निर्देश है कि वे अविलंब विभाग के द्वारा प्रावधानित संलग्न प्रपत्र में रुपये 20,000 (बीस हजार) मात्र का इस आशय से संबंधित बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की दो स्वतंत्र प्रतिभूतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे कि आगामी विधान सभा चुनाव 2015 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आदेश एवं बंधपत्र की शर्तों की अवहेलना की स्थिति में विपक्षी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस निम्ने में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम दिघवारा थाना पर प्रातः 7:00 बजे अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही मौजूद रहेंगे। थानाध्यक्ष दिघवारा थाना को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

  
जिला दण्डाधिकारी  
सारण, छपरा।

  
जिला दण्डाधिकारी  
सारण, छपरा।


ज्ञापांक..... 924 ...../न्या०, दिनांक..... 19.10.2015

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपि:-थानाध्यक्ष, दिघवारा एवं थानाध्यक्ष, भगवान बाजार थाना, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-काजू सिंह, पिता-विपिन बिहारी सिंह, सा०-आमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
वरीय एवं शिमाहर्ता  
जिला विधि शाखा  
सारण, छपरा।